कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 195/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 22.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 22.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ दिनांक- 21.05.2026

➡ जमीन कब्जे के विवाद में मारपीट व जानलेवा हमला करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

➡ घटना में प्रयुक्त लोहे की राड बरामद, अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना देवगांव पुलिस द्वारा मारपीट एवं जानलेवा हमले के मुकदमे में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लोहे की राड बरामद की गयी।

उल्लेखनीय है कि वादी श्री सीताराम पुत्र श्यामा सरोज निवासी ग्राम चेवार गोवर्धनपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण उनके जमीन पर कब्जा करने की नियत से हैण्डपम्प गाड़ रहे थे। विरोध करने पर विपक्षियों द्वारा गाली-गलौज करते हुए लोहे की राड से प्रहार कर उनके सिर पर गंभीर चोट पहुंचायी गयी तथा बीच-बचाव करने आये उनके परिजनों रामभवन, राममूरत, श्यामा, रेखा एवं सोनम के साथ भी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 189/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम राजदेव, सरोज, दुर्गेश एवं सुबाष सरोज निवासीगण चेवार गोवर्धनपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 अश्वनी कुमार सिंह द्वारा संपादित की जा रही है।

दिनांक 21.05.2026 को उ0नि0 अश्वनी कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी कि मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुबाष सरोज एवं दुर्गेश सरोज चेवार गोवर्धनपुर के सामने हाईवे रोड पर खड़े होकर कहीं जाने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए समय करीब 07:10 बजे दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की राड बरामद की गयी। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायालय भेज दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुबाष सरोज पुत्र रमई सरोज निवासी चेवार गोवर्धनपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
2. दुर्गेश सरोज पुत्र रमई सरोज निवासी चेवार गोवर्धनपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

➡ घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की राड

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 189/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अश्वनी कुमार सिंह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
2. का0 रतन पाल सिंह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
3. रि0का0 अंकित कुमार यादव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ दिनांक- 21.05.2026

➡ जमीन कब्जेदारी के विवाद में मारपीट व घर में घुसकर हमला करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

➡ घटना में प्रयुक्त भाला, फावड़ा व बांस का डण्डा बरामद, अभियुक्तों को भेजा गया जेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा मारपीट एवं घर में घुसकर हमला करने के मुकदमे में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किये गये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.05.2026 को वादी श्री त्रिलोकी यादव पुत्र स्व0 भगेलू निवासी ग्राम बेलसड़ी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 62 वर्ष द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि जमीन कब्जेदारी को लेकर विपक्षीगण द्वारा वादी एवं उनके परिजनों को जान से मारने की नियत से भाला, लाठी, बांका एवं फावड़ा से मारपीट की गयी तथा जान बचाकर घर में भागने पर घर में घुसकर पुनः मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 0193/26 धारा 109(1), 115(2), 333, 351(3) बीएनएस बनाम अवधराज, आशुतोष, नीरज एवं पंकज यादव निवासीगण बेलसड़ी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 मनीष कुमार विश्वकर्मा द्वारा संपादित की जा रही है।

दिनांक 21.05.2026 को उ0नि0 मनीष कुमार विश्वकर्मा मय पुलिस टीम क्षेत्र भ्रमण एवं देखभाल क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पंकज कुमार यादव एवं नीरज यादव को ग्राम अचलीपुर अंडरपास के निकट से समय करीब 23:50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को उनके अपराध से अवगत कराते हुए मानवाधिकार आयोग एवं मा0 न्यायालय के आदेश-निर्देशों का पालन करते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांस का डण्डा, 01 अदद फावड़ा एवं 01 अदद भाला (धारदार हथियार) नन्दना तालाब गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास झाड़ियों से बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को न्यायालय भेज दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पंकज कुमार यादव पुत्र अवधराज यादव निवासी ग्राम बेलसड़ी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष
2. नीरज यादव पुत्र अवधराज यादव निवासी ग्राम बेलसड़ी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष

बरामदगी-

➡ 01 अदद बांस का डण्डा

➡ 01 अदद फावड़ा

➡ 01 अदद भाला (धारदार हथियार)

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 0193/26 धारा 109(1), 115(2), 333, 351(3) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 मनीष कुमार विश्वकर्मा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 मनीष कुमार सिंह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. का0 मनीष यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

4. रि0का0 घनश्याम थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना तरवां जनपद आजमगढ़ दिनांक- 22.05.2026

➡ शादी का झांसा देकर युवती को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡ पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमे में बढ़ायी गयी गंभीर धाराएं, अभियुक्त भेजा गया न्यायालय

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन में महिला सम्बन्धित अपराधों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरवां पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर युवती को भगाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.05.2026 को थाना स्थानीय पर प्राप्त लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त सौरभ सोनकर पुत्र संजय सोनकर निवासी ग्राम बसीला पोस्ट मेंहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा एक युवती को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना तरवां पर मु0अ0सं0 97/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 अतुल कुमार मिश्रा द्वारा संपादित की जा रही है।

दिनांक 21.05.2026 को युवती एवं अभियुक्त थाना स्थानीय पर उपस्थित हुए। युवती को महिला आरक्षी की सुपुर्दगी में देकर उसका बयान दर्ज किया गया, जिसके आधार पर मुकदमे में धारा 69, 115(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी तथा धारा 137(2) बीएनएस की घटोत्तरी की गयी। तत्पश्चात अभियुक्त सौरभ सोनकर पुत्र संजय सोनकर निवासी ग्राम बसीला पोस्ट मेंहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को उसके अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 20:00 बजे थाना परिसर से गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया गया।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह युवती को अपने साथ दिल्ली लेकर गया था, किन्तु बाद में पारिवारिक एवं सामाजिक कारणों से शादी करने से इंकार कर दिया, जिसके उपरांत उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 97/2026 धारा 87, 69, 115(2) बीएनएस थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सौरभ सोनकर पुत्र संजय सोनकर निवासी ग्राम बसीला पोस्ट मेंहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अतुल कुमार मिश्रा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ।

थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ दिनांक- 22.05.2026

➡ नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡ पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ द्वारा वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के नेतृत्व तथा प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर के कुशल निर्देशन में थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.05.2026 को थाना जीयनपुर पर प्राप्त लिखित सूचना के आधार पर एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ गलत कार्य करने के संबंध में मु0अ0सं0 0222/2026 धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट बनाम सोनू बनवासी उर्फ खाड़ू पुत्र अम्बिका बनवासी उर्फ मक्कर निवासी ग्राम खरैवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमे में संशोधित धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। प्रकरण की विवेचना व0उ0नि0 परमात्मा मिश्र द्वारा संपादित की जा रही है।

दिनांक 22.05.2026 को व0उ0नि0 परमात्मा मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त सोनू बनवासी उर्फ खाडू पुत्र अम्बिका बनवासी उर्फ मक्कर निवासी ग्राम खरैवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को केशवपुर जंगल के सामने सड़क किनारे से समय करीब 07:20 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सोनू बनवासी उर्फ खाडू पुत्र अम्बिका बनवासी उर्फ मक्कर निवासी ग्राम खरैवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 0222/2026 धारा 65(1) बीएनएस व संशोधित धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 परमात्मा मिश्र थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 प्रद्युम्न यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 संजय कुमार वर्मा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ दिनांक- 22.05.2026

➡️ मारपीट व फायरिंग की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ घटना स्थल से बरामद हुआ 7.65 बोर का खोखा कारतूस, अभियुक्त भेजा गया जेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा मारपीट एवं फायरिंग की घटना में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.05.2026 को थाना अतरौलिया पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर आपसी कहासुनी को लेकर विपक्षी अखिलेश वर्मा द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर गाली-गलौज, मारपीट तथा जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मु0अ0सं0 194/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस बनाम अखिलेश वर्मा, आनन्द वर्मा व 04 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय द्वारा संपादित की जा रही है।

दिनांक 22.05.2026 को उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अखिलेश वर्मा पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम शेरवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को ग्राम शेरवा स्थित प्राथमिक विद्यालय के टीनशेड के पास से समय करीब 09:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए मानवाधिकार आयोग एवं मा0 न्यायालय के आदेश-निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया। उक्त घटना के संबंध में मौके से फील्ड यूनिट टीम द्वारा 01 अदद खोखा कारतूस KF 7.65 बरामद किया गया था। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अखिलेश वर्मा पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम शेरवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी-

➡️ 01 अदद खोखा कारतूस KF 7.65

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 194/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. का0 उमेश कुमार सिंह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. का0 श्याममणि थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस नोट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ दिनांक- 22.05.2026

➡️ पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म के आरोप में नामजद अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायमीर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.05.2026 को थाना सरायमीर पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर एक नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म करने तथा घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मु0अ0सं0 127/2026 धारा 351(3)/3(5) बीएनएस व 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट बनाम अदनान, मूसा, समीर एवं असलर निवासीगण राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

दिनांक 22.05.2026 को उ0नि0 राजकुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों की तलाश में दबिश दी जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे से संबंधित नामित अभियुक्त मूसा पुत्र मोतीन अहमद निवासी राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ सरायमीर बाजार की तरफ गया है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कादनपट्टी के पास सड़क पर घेराबंदी कर अभियुक्त को समय करीब 06:00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मूसा पुत्र मोतीन अहमद निवासी राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 127/2026 धारा 351(3)/3(5) बीएनएस व 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजकुमार यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. का0 मुन्दन कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस नोट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ दिनांक- 22.05.2026

➡️ अर्द्ध सैनिक बल में नौकरी दिलाने हेतु फर्जी निवास प्रमाण पत्र तैयार कर ठगी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ थाना रानी की सराय पुलिस ने दिलौरी खेल मैदान के पास से तीनों अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के नेतृत्व एवं थानाध्यक्ष रानी की सराय के निर्देशन में थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.05.2026 को थाना रानी की सराय पर प्राप्त लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के संबंध में मु0अ0सं0 123/2026 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 336(4), 340(2), 61(2), 351(3), 352 बीएनएस बनाम विद्यासागर, राहुल कुमार, वीरेन्द्र यादव, राकेश यादव, प्रदीप यादव एवं मुन्ना शर्मा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

दिनांक 22.05.2026 को व0उ0नि0 सुशील कुमार मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा देखभाल क्षेत्र एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल कुमार, राकेश यादव एवं प्रदीप यादव दिलौरी खेल मैदान के पास मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्तगण को समय करीब 10:10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को उनके अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय भेजा जा रहा है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे अर्द्ध सैनिक बल में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से धनराशि लेकर फर्जी निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करते थे। तीनों अभियुक्तों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपनी सफाई मा0 न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने की बात कही गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. राहुल कुमार पुत्र रामदुलार निवासी कोईलारी खुर्द थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष
2. राकेश यादव पुत्र रवि प्रकाश यादव निवासी अमौड़ा मुहिउद्दीनपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष
3. प्रदीप यादव पुत्र स्व0 सूर्य प्रकाश यादव निवासी कोईलारी खुर्द थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 123/2026 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 336(4), 340(2), 61(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

➡ मु0अ0सं0 123/2026 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 336(4), 340(2), 61(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

➡ मु0अ0सं0 174/2019 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

➡ मु0अ0सं0 042/2023 धारा 504/506 भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 सुशील कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 धनन्जय राय थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 दिनेश यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस नोट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ दिनांक- 22.05.2026

➡️ पति-पत्नी के पारिवारिक विवाद को पुलिस ने कराया समाप्त

➡️ आपसी सहमति व समझाइश के बाद दम्पति पुनः साथ रहने को हुए तैयार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन में जनसुनवाई एवं पारिवारिक विवादों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा पति-पत्नी के पारिवारिक विवाद को आपसी समझौते के माध्यम से सुलझाकर परिवार को पुनः सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलवाया गया।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.05.2026 को थाना अतरौलिया पर प्राप्त प्रार्थना पत्र में आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी पुत्री की शादी वर्ष 2015 में थाना क्षेत्र के एक युवक के साथ हुई थी। विगत लगभग 02 वर्षों से पति-पत्नी के बीच दहेज एवं घरेलू बातों को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण दोनों पक्षों में लगातार मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी। प्राप्त प्रार्थना पत्र की जांच उ0नि0 मनीष विश्वकर्मा एवं का0 मनीष यादव द्वारा की गयी।
दिनांक 22.05.2026 को दोनों पक्षों को थाना स्थानीय पर बुलाया गया, जहां सम्भ्रांत व्यक्तियों एवं रिश्तेदारों की उपस्थिति में दोनों पक्षों को समझाया-बुझाया गया। समझाइश एवं वार्ता के उपरांत दोनों पति-पत्नी परिवार के भविष्य को देखते हुए बिना किसी दबाव के पुनः साथ रहने के लिए सहमत हुए। उक्त समझौते में परिवार के वरिष्ठ सदस्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
समझौते के उपरांत दोनों पति-पत्नी ने एक-दूसरे को माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर आपसी सौहार्द एवं खुशी के साथ भविष्य में साथ रहने की सहमति व्यक्त की।
पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मनीष विश्वकर्मा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. का0 मनीष यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. म0का0 पिंकी पाण्डेय थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
4. म0का0 सविता थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस नोट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ दिनांक- 22.05.2026

➡️ फर्जी बैनामा एवं बैंक खाते के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ जमीन के बैनामे में फर्जीवाड़ा कर धनराशि हड़पने के मामले में पुलिस को मिली सफलता

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के नेतृत्व में थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा धोखाधड़ी एवं फर्जीवाड़े के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.04.2026 को थाना बिलरियागंज पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वादिनी की जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा कराने, बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी खाता खुलवाकर उसमें बैनामे की धनराशि ट्रांसफर कराने तथा धनराशि निकाल लेने के संबंध में मु0अ0सं0 90/2026 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि बनाम शाह आलम, सादिक एवं अज्ञात बैंक कर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

दिनांक 22.05.2026 को थाना बिलरियागंज पुलिस को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मोहल्ला गुलामी पुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा जामेतुर रेहसास मदरसा के पास पहुंचकर घेराबंदी की गयी तथा अभियुक्त मो0 शाहआलम पुत्र स्व0 बदरूद्दीन निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ हाल पता गुलामी पुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 54 वर्ष को समय करीब 09:15 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश-निर्देशों का पालन किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त की पत्नी को मौके पर ही दी गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
मो0 शाहआलम पुत्र स्व0 बदरूद्दीन निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ हाल पता गुलामी पुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 54 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 90/2026 धारा 419/420/467/468/471/120-बी भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. का0 अजीत कुमार यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
2. का0 संजय सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
3. म0का0 प्रेमलता पाण्डेय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट
दिनांक – 22.05.2026
जनपद – आजमगढ़ (परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 22.05.2026 को थाना कोतवाली परिसर, आजमगढ़ में स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में कुल 04 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को फोन/नोटिस के माध्यम से सूचित कर मध्यस्थता हेतु बुलाया गया था।

मध्यस्थता के दौरान 01 पत्रावलियों में उपस्थित दोनों पक्षों को आपसी काउंसलिंग एवं समझाइश के उपरांत सफलतापूर्वक समझौता कराया गया। आवेदिका ने पति व सास ससुर द्वारा मार-पीट करना तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। दोनों पक्षों की संयुक्त एवं पृथक काउंसलिंग कर आपसी मतभेदों का समाधान कराया गया तथा पारिवारिक विवादों के निस्तारण हेतु सहमति बनाई गई। शेष पत्रावली में अग्रिम तिथि नियत करते हुए पक्षकारों को पुनः नोटिस/फोन द्वारा सूचित कर मध्यस्थता की कार्यवाही की जाएगी।

यह “नई किरण” परियोजना पारिवारिक विवादों के समाधान, टूटते परिवारों को जोड़ने तथा माननीय पारिवारिक न्यायालयों पर कार्यभार कम करने की दिशा में एक प्रभावी पहल है, जो बिखरे हुए परिवारों को पुनः एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास कर रही है।

इस पुनीत कार्य में काउंसलर के रूप में उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी (प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ), उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता, आरक्षी जितेन्द्र शाह एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह उपस्थित रहे।
कुल समझौते – 01

1. शबनम पुत्री शौकत ग्राम-अलीनगर, थाना-मुबारकपुर, जनपद-आजमगढ़।